FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर. मुकाम....खींवसर...

कस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रणजीतराम बनाम माधाराम

मु. नं.....04.............सन्..2021.

...त्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	11.02.2022	
	प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्ध किस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे । मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 08. 03.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी **खींवसर**	
8/3/22	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/ भ्रमण/में है/ स्थानान्तरण हो चुका है/ अवकाश पर गये हुए है।पत्रावली आगामी दिनांक को...14/3/22...को पेश हो।	
14/3	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/ भ्रमण/में है/ [illegible] हो चुका है/ अवकाश पर [illegible] पत्रावली आगामी दिनांक को...29/3/22...को पेश हो।	
	29/3/22 पत्रावली पेश। इस प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थी ने निवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस प्रकरण में किसी प्रकार [illegible] की आवश्यकता नहीं है कोई भी विवाद अधिकार की आवश्यकता नहीं है	

भूमि के निरीक्षण पर भूमि को
खुला जाकर भूमि का उक्त प्रतिपक्ष
धारा 251 के R.T.Act को स्वीकार किया
जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया
जाकर बाद रखवाकर सा. निर्णय
20
किया जाता पत्रावली नियम सुरक्षित
तैयार बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर
हो

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

जरिये प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओ को मध्य नजर रखते हुए उसे चाहे गये रास्ते की आंत्यतिक आवश्यकता है। हस्तगत पत्रावली मे जाच रिपोर्ट मे यह दर्शाया गया है की उपरोक्त चाहे गए रास्ता ही एक मात्र रास्ता है।

2.वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने खेताय तक पहुंचने के लिये उसके पास कोई स्थायी रास्ता नही है। तहसीलदार खींवसर ने अपनी रिपोर्ट मे यह कही भी अंकन नही किया की प्रार्थी को अपने खेत मे कार्य हेतु आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता हो। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम प्रतीत होता है और इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

3. प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा से यह साबित होता है कि उक्त प्रश्नगत रास्ता सरल सुगम है जो तहसीलदार खींवसर के पत्रांक/कमांक/भू.अ./2022/251 क/3951 दिनांक 22.02.2022 से ताईद होता है।

पत्रावली पर मौजुंद रेकर्ड, एवं अप्रार्थी की जाचं रिपोर्ट, प्रार्थी की बहस के आधार पर तहसीलदार खींवसर की जाचं के साथ मौका फर्द में दर्शाया गया नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट को स्वीकार किया जाता है तो कोई कानूनी बाधा प्रतीत नहीं होती है,

क्योंकि प्रतिबंधित आराजी यानि की खेत खसरा नबंर 207 में से 1212 वर्गमीटर भूमि को गै.मु. गौचर में से रास्ता दिये जाने पर रास्ते के रूप में प्रभावित होने वाली भूमि के बदले प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नबंर में से खेत खसरा नबंर 204 में से रकबा 0.1214 हैक्टेयर रास्ते के बदले समर्पण आदेश कंमाक/राजस्व/2021/658 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा समर्पण करवा दिया है, इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट को स्वीकार करते हुए तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि :–

आदेश

अतः प्रार्थी खेत खसरा नबंर 636/204 रकबा 1.5783 हैक्टेयर में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यन्तिक आवश्कता व जरूरतों को देखते हुए खसरा नबंर 207 रकबा 13.1567 गै.मु. गोचर में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार मार्क ए से बी तक 30 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है । तथा उक्त प्रश्नगत रास्ते में प्रभावित होने वाले रकबे की डीएलसी दर से दो गुना राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर उक्त आदेश की पालना की जावे।

उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान का निजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के उपयोग उपभोग में काम आयेगा तथा उक्त तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका फर्द में दर्शाया गया नक्शा आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

नोटः– **उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।**

जीतू कुल्हरी RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक : 29.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जीतू कुल्हरी RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)